विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/769

दिनांक :07-04-17

प्रति,

प्राचार्य,
दयानंद सरस्वती महाविद्यालय,
शाजापुर।

विषय : **विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।**

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरन्तरता आवेदन क्रमांक/69,दिनांक 06.04.2016

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता-निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.12.2016 में प्रस्तुत किया गया,उक्त बैठकों के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.कॉम.(प्लेन+कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन)	पूर्व सत्रानुसार
02.	बी.एससी.(बॉयोटेक्नोलॉजी,जुलॉजी,कम्प्यूटर विज्ञान, कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन,सांख्यिकी,गणित,भौतिक,रसायन)	पूर्व सत्रानुसार
03.	बी.सी.ए.	पूर्व सत्रानुसार
04.	बी.बी.ए.	पूर्व सत्रानुसार
05.	पी.जी.डी.सी.एस.ए.	पूर्व सत्रानुसार
06.	बी.ए.(समाजशास्त्र,राजनीति विज्ञान,कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन)	पूर्व सत्रानुसार
07.	एम.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान)	पूर्व सत्रानुसार

शर्तें :-
1. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।
2. कम्प्यूटर विज्ञान विषय में कम से कम 04 शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत की जाये,10 नवीन कम्प्यूटर क्रय किये जाये एवं 04 लायसेन्स्ड सॉफ्टवेयर पाठ्यक्रमानुसार क्रय किये जाये।
3. पुस्तकालय में लायब्रेरियन की नियुक्ति परिनियम क्रमांक 28 के अनुसार की जाये एवं 50 नवीन पुस्तके(कम्प्यूटर विज्ञान विषय की) क्रय की जाये।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से अतिशिघ्र पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता-निरंतरता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02